(160)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

R 4204 – II-16

अध्यक्ष, वक्फ इन्तजामिया कमेटी, नरवर,
तहसील नरवर, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
-- आवेदक

विरूद्ध

लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री हरीशंकर गुप्ता,
निवासी तहसील नरवर, जिला शिवपुरी(म.प्र.)
-- अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14.10.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक वक्फ इन्तजामिया कमेटी, नरवर का अध्यक्ष है। अध्यक्ष की हैसियत से कब्जा नरवर में स्थित मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान की भूमि वर्तमान सर्वे क्रमांक 794, रकबा 0.04 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 795, रकबा 0.07 हैक्टेयर जिसमें 100 वर्षो पूर्व से कब्रे ताबूत, तूर्बते, मजारे स्थाई रूप से बनी है। जिसकी संख्या करीब 500 होगी। उक्त भूमि कब्रिस्तान पटवारी अभिलेख में दर्ज होकर वक्फ सम्पत्ति होकर शासकीय है।
2. यहकि, वक्फ कमेटी को जानकारी हुयी कि उक्त भूमि का विक्रय रतनलाल पुत्र रामलाल कुशवाह द्वारा विक्रयपत्र दिनांक 28.02.2009 को नगर पंचायत, नरवर के पूर्व अध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण गुप्ता को कर दिया है। जिसका नामांतरण दिनांक 15.03.2009 को हो गया है। जिसकी शिकायत वक्फ बोर्ड, भोपाल तथा सभी स्तर पर की गयी है। तहसीलदार नरवर द्वारा नामांतरण आदेश को पुर्नविलोकन की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी, करैरा से लेकर राजस्व अभिलेख एवं क्रेता विक्रेता के दस्तावेजों तथा मौके की जॉच करने के पश्चात् दिनांक 12.04.2010 को आदेश पारित कर सर्वे क्रमांक 794, रकबा 0.04 हैक्टेयर पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–4204–दो / 2016 जिला–शिवपुरी

अध्यक्ष, वक्फ इन्तजमिया कमेटी, विरूद्ध लक्ष्मी नारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 38 / 2011–12 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	